भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1866
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

मवेशियों में बीमारी

1866. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालतू जानवरों में बीमारी फैलने की स्थिति में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मवेशियों में रोग निगरानी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पशु महामारियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए पशु स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण पहलों के साथ-साथ उपचार और नैदानिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) जी हां। रोगों के प्रकोप की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विवरण निम्नानुसार है;

(i) पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोग-प्रकोप के दौरान नियंत्रण उपाय करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की पहचान करने और उसे अधिसूचित करने, प्रभावित पशुओं को अलग करने और जैव सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने आदि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं (एनएपी) तैयार की हैं और उन्हें परिचालित किया है।
(ii) पशु रोग के प्रकोपों का प्रबंधन करने और कार्रवाई करने के लिए पशुधन रोगों हेतु संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की गई है, जिससे त्वरित रोग नियंत्रण और शमन सुनिश्चित हो सके।
(iii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पशुचिकित्सा देखभाल पद्धतियों हेतु विभाग द्वारा ''मानक पशुचिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (एसवीटीजी) तैयार किए गए हैं।

(ख) जी हां। विभाग पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) योजना के तहत क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सीरो-निगरानी, सीरो-मॉनीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें सैम्पलिंग, परीक्षण प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी शामिल है।
राज्य-वार नमूनाकरण योजना तैयार कर ली गई है और सीरो निगरानी, सीरो मॉनीटरिंग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों (आईसीएआर) जैसे आईसीएआर-एनआईएफएमडी भुवनेश्वर, आईसीएआर-आईवीआरआई, बेंगलुरू तथा आईसीएआर-एनआईवीईडीआई, बेंगलुरू को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें संदिग्ध मामलों का पुष्टिकरण, प्रयोगशाला कार्मिकों

का प्रशिक्षण तथा अन्य संबद्ध कार्यकलाप भी शामिल हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत कवर किए गए रोगों के संबंध में नियमित सीरो-निगरानी की जा रही है।

(ग) एलएचडीसीपी योजना के तहत विभाग पशु चिकित्सकों और पैरा-पशु चिकित्सकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए "सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई)" सहित नैदानिक अवसंरचना की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विभाग एलएचडीसीपी योजना के पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाईल पशुचिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के अंतर्गत निदान, किसानों के द्वार पर उपचार प्रदान करने के लिए मोबाईल पशुचिकित्सा इकाइयों के संचालन हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में देशभर में 28 राज्यों में 4016 एमवीयू कार्य कर रही हैं।

इसके अलावा, पशु रोगों के लिए सहायता (एएससीएडी) घटक के तहत रोग निदान किटों/टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य जैविकीय उत्पादन यूनिटों (बीपीवी) को भी सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता प्रशिक्षण तथा संबद्ध कार्यकलापों के तहत गतिविधियों के लिए भी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******